



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249126
CG-DL-E-04102023-249126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]
No. 673]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2023

फा.सं. एचक्यू-21026/1/2022-विधि-एचक्यू(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन एवं अद्यतन) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (जिसे यहाँ इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है), के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,—

(क) खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

‘(छक) "डेटाबेस" से अभिप्राय डेटा के संगठित संग्रहण से है, जिसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क से इलेक्ट्रॉनिकी रूप में संग्रहित और एक्सेस किया जाता है;’

(ख) खंड (ड) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

‘(ड)“परिवार का मुखिया” से अभिप्राय नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतिकरण की प्रक्रिया से गुजरने वाले व्यक्ति के परिवार के ऐसे सदस्य, या ऐसे व्यक्ति के विधिक संरक्षक से है,—

- (i) जिसके बारे में उस व्यक्ति के संबंधी होने का प्रमाण देने वाला दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख प्रस्तुत किया गया है; और
- (ii) जो ऐसे व्यक्ति का पिता-माता या संरक्षक है;।

3. मूल विनियम में, विनियम 4 और 5 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :—

“4. जनसांख्यिकीय सूचना.—(1) किसी ऐसे व्यक्ति, जो नामांकन करा रहा है और जिसकी आयु पांच वर्ष से अधिक है, के संबंध में निम्नलिखित जनसांख्यिकीय सूचना संग्रहित की जाएगी, नामतः :—

- (क) नाम;
- (ख) जन्म तिथि;
- (ग) लिंग; और
- (घ) पता।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित जनसांख्यिकीय सूचना के अतिरिक्त, नामांकन के दौरान नामांकन प्रक्रिया से गुजरने वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित जनसांख्यिकीय सूचना, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, नामांकन के दौरान संग्रहित की जा सकती है, नामतः :—

- a) मोबाइल नंबर; और
- b) ईमेल पता।

(3) उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिक नामांकन चाहता है, तो उसे अपना ईमेल पता प्रस्तुत करना होगा।

*स्पष्टीकरण.—*इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “अनिवासी भारतीय” का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाला भारत का नागरिक है किंतु अधिनियम की धारा 2 के खंड (फ) में यथा परिभाषित निवासी नहीं है।

(4) यदि कोई नामांकन चाहने वाला व्यक्ति एक बालक या ऐसा व्यक्ति है जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त किया गया है और वह उप-विनियम (1) के अंतर्गत परिवार के मुखिया द्वारा पुष्टि के जरिए अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है, जनसांख्यिकीय सूचना के अतिरिक्त, ऐसे बालक या व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना नामांकन के दौरान संग्रहित की जाएगी, नामतः—

- (क) परिवार के मुखिया का नाम;
- (ख) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के साथ परिवार के मुखिया का संबंध;
- (ग) परिवार के मुखिया का आधार नंबर; और
- (घ) परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक सूचना।

5. पांच वर्ष से कम आयु के बालक के नामांकन के लिए सूचना.—नामांकन की प्रक्रिया से गुजर रहे पांच वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में निम्नलिखित सूचना संग्रहित की जाएगी, नामतः :—

- (क) नाम;
- (ख) जन्म तिथि;
- (ग) लिंग;
- (घ) चेहरे की छवि;
- (ङ) माता-पिता या संरक्षक का आधार नंबर, बालक के साथ संबंध के व्यौरे सहित;

(च) माता-पिता या संरक्षक की बायोमेट्रिक सूचना, उसके पते सहित:

परंतु यह कि यदि माता-पिता या संरक्षक का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो इसके कारण दर्ज किए जाएंगे :परंतु यह और कि खंड (च) में संदर्भित माता-पिता या संरक्षक की पहचान बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए स्थापित की जाएगी।”।

4. मूल विनियम में, विनियम 10 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“10. सूचना प्रस्तुत करना और सत्यापन करना.—(1) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को अनुसूची I में दिये हुए प्ररूप में आवेदन जमा करना होगा और—

- (क) नामांकन केंद्र पर, मूल रूप में, सत्यापन और स्कैनिंग के लिए, पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण और, जहां लागू हो, जन्म तिथि का प्रमाण या संबंध का प्रमाण या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के साक्ष्य के तौर पर एक या अधिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा; या
- (ख) ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षित से संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से खंड (क) में संदर्भित प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण या सूचना की इलेक्ट्रॉनिकी प्राप्ति नामांकन की प्रक्रिया के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या अधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित होने के अध्यक्षीन होगी ।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित प्रमाणों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकने वाले दस्तावेजों की एक सूची अनुसूची II में है।

(3) किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण में दस्तावेजों का संग्रहण आवश्यक नहीं होगा जहां-

- (क) भारत के महापंजीयक द्वारा बायोमेट्रिक सूचना या जनसांख्यिकीय सूचना का नामांकन या अद्यतन किया गया है; या
- (ख) उक्त प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी सूचना, ऐसी सूचना को तैयार करने या उसका अनुरक्षित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा तैयार या अनुरक्षित डेटाबेस से उपलब्ध है।

(4) नामांकन की प्रक्रिया के भाग के रूप में संग्रहित की गई सूचना का सत्यापन अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या उप-विनियम (1) के खंड (क) में संदर्भित प्रमाणों की इलेक्ट्रॉनिकी सूचना के आधार पर किया जाएगा :

परंतु यह कि ऐसे सत्यापन के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी की सहायता ली जा सकेगी।”।

5. मूल विनियम में, विनियम 16 में, शब्द "प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रक्रिया" के स्थान पर, "इस अध्याय में निर्दिष्ट प्रक्रिया" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

6. मूल विनियम में, विनियम 16क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“16क. दस्तावेज या सूचना अद्यतन करना.—एक आधार नंबर धारक, उसे समनुदेशित आधार नंबर के सृजन की तारीख से 10 वर्ष की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर, विनियम 10 में संदर्भित पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों या सूचना को, निम्न द्वारा, न्यूनतम एक बार अद्यतित कर सकेगा,—

- (क) ऐसे दस्तावेजों को किसी नामांकन केंद्र या अद्यतन केंद्र या नामांकन और अद्यतन केंद्र पर विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत दस्तावेजों की प्रस्तुति के संबंध में यथा उपबंधित के समान रीति से प्रस्तुत करके;
- (ख) प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिकी रूप से ऐसे अपलोड करके, जिस प्रकार इस प्रयोजनार्थ ऐसी वेबसाइट या एप्लिकेशन, जैसी भी स्थिति हो, पर दिया गया है; या

(ग) ऐसी सूचना को तैयार करने या उसका अनुरक्षण करने वाले प्राधिकारियों के डेटाबेस से उक्त प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी रूप से प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे कर,

ताकि केंद्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में उसकी सूचना की सतत शुद्धता सुनिश्चित करने में सहायता हो :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण, इलेक्ट्रॉनिकी अपलोडिंग या इलेक्ट्रॉनिकी प्राप्ति नामांकन की प्रक्रिया के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या अधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित होने के अध्यधीन होगी।

7. मूल विनियम में, विनियम 27 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"(क) यदि यह स्थापित हो जाता है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक आधार नंबर जारी किए गए हैं, तो सबसे पहले समनुदेशित किए गए आधार नंबर को बनाए रखा जाएगा और बाद के सभी आधार नंबर हटा दिए जाएंगे;"।

8. मूल विनियम में, विनियम 28 के बाद, निम्नलिखित विनियम को अंतर्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :—

"28क. कुछ आधार नंबरों का निष्क्रियण.—विनियमन 28 में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी ऐसे विदेशी नागरिक के संबंध में जो नामांकन चाहता है या जो आधार संख्या धारक है, आधार संख्या को निष्क्रिय किया जा सकता है,—

(क) भारत में रहने के लिए उनके वीजा की वैधता की अवधि समाप्त होने पर; या

(ख) जहां प्राधिकरण संतुष्ट है कि ऐसा विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश या रहने के लिए पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34), इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और गृह मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है।"

9. मूल विनियम में, विनियम 35 के बाद, निम्नलिखित विनियम को अंतर्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :—

"36. प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित कार्य या बात करना.—(1) कोई भी कार्य या बात जो इन विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा की जानी है या की जा सकती है, वह प्राधिकरण के किसी ऐसे सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकेगी जिसे प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संबंधित शक्ति या कृत्य प्रत्यायोजित किया है।

(2) प्राधिकरण यह निश्चित कर सकता है कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या काम उक्त उप-विनियम में यथा संदर्भित प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित है या नहीं।"

10. मूल विनियम में, "अनुसूची I", "अनुसूची II" और "अनुसूची III" के लिए, निम्नलिखित अनुसूचियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

	मैं, एतद्वारा ----- की पहचान की पुष्टि करता/करती हूँ और मैं स्वेच्छा से अपना पता साझा करने के लिए सहमत हूँ। एचओएफ का नाम: एचओएफ के हस्ताक्षर	
10	जनसांख्यिकीय/दस्तावेज अद्यतन (दस्तावेज के नाम लिखें। दस्तावेजों की सूची के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट देखें)	
	क. पीओआई (पते का प्रमाण)	ख. पीओए (पते का प्रमाण)
	ग. डीओबी (जन्मतिथि)	घ. पीओआर (संबंध का प्रमाण)

1. मैं समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त सूचना किसी एजेंसी को केवल प्रमाणीकरण के दौरान मेरी सहमति से या आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जा सकती है। मुझे यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी पहचान की सूचना (मूल बायोमेट्रिक्स को छोड़कर) को एक्सेस का अधिकार है।
2. मैं इस बात की पुष्टि करता/करती हूँ कि प्रस्तुत की गई सूचना/दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं और किसी भी समय यदि उक्त सूचना गलत/धोखाधड़ी/झूठी पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध लागू कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
3. मैं इस तरह की सूचना को तैयार करने या उसके अनुरक्षित से संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से पहचान, पते, जन्म और रिश्ते के साक्ष्य के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।
4. मैं सत्यापन के उद्देश्य से उपरोक्त सूचना और सहायक दस्तावेजों या उक्त प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी सूचना को, ऐसे दस्तावेजों/सूचना की तैयार करने या उनके अनुरक्षित से संबंधित सरकारी एजेंसियों और प्राधिकारियों के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।

सत्यापनकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर:

(मुहर न होने की स्थिति में सत्यापनकर्ता को अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए)

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

नामांकन एजेंसी द्वारा भरा जाएगा: नामांकन की तारीख और समय: _____

नोट: दिव्यांगजन की स्थिति में, दिव्यांगजन के कानूनी संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

*निवासी का तात्पर्य आधार अधिनियम की धारा 2(फ) के अनुसार निवासी से है।

**अनिवासी भारतीय के मामले में, पीओआई के रूप में केवल वैध भारतीय पासपोर्ट स्वीकार्य होगा। .

विदेशी नागरिक द्वारा नामांकन/अद्यतन चाहने की स्थिति में, अलग प्रपत्र का प्रयोग किया जाएगा। 1.10.2023 को या उसके बाद जन्में बालक के नामांकन के लिए जन्मतिथि प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

जीवनचर्या को सुगम बनाने के लिए अपनी आधार सूचना को सदैव अपडेट रखें। यदि आपका आधार नंबर 10 साल से अधिक समय पूर्व जारी किया गया था और अपडेट नहीं किया गया है, तो यह अनुशंसा की जाती है कि जनसांख्यिकीय सूचना की निरंतर सटीकता के लिए सहायक दस्तावेज (पीओआई/पीओए) को अपडेट रखें।

18 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय निवासी या अनिवासी भारतीय व्यक्तियों के संबंध में आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र भरने के लिए पालन किए जाने वाले अनुदेश

प्रपत्र क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	अनुदेश
1	नामांकन का प्रकार	कृपया आवश्यकता – नया नामांकन या अद्यतन पर सही का निशान अंकित करें
2	स्थिति	कृपया निवासीय स्थिति चुने। नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों द्वारा अलग फार्म प्रयुक्त किया जाना चाहिए। एनआरआई के मामले में, वैध भारतीय पासपोर्ट ही स्वीकृत पीओआई होगा।
3 एवं 10	जनसांख्यिकीय अद्यतन (मोबाइल, जन्मतिथि, पता, नाम, लिंग, ईमेल)	निवासी को अपना आधार नंबर दर्ज करके केवल अपेक्षित सेवा का चयन करना है। नाम के अन्यत्र अद्यतन की स्थिति में, विद्यमान आधार में इंगित नाम का उल्लेख किया जाए (दस्तावेज और आधार के नाम में मेल खाना चाहिए) अन्य अद्यतन अनुरोध के मामलों में केवल आवश्यक फील्ड भरना होगा।
3 एवं 10	दस्तावेज अद्यतन	दस्तावेज अद्यतन करने की स्थिति में, निवासी को विद्यमान आधार के अनुसार नाम और पते का मेल खाता दस्तावेज जमा करना होगा। दस्तावेज अपडेट के मामले में, निवासी को केवल आधार नंबर, नाम और दस्तावेज का नाम भरना होगा।
4	नाम	अभिवादन/शीर्षक के बिना पूरा नाम लिखें। कृपया मूल पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज साथ में लाएं। पीओआई के विपरीत निवासी के नाम में परिवर्तन की अनुमति है परंतु यह कि परिवर्तन केवल मामूली वर्तनी का हो। उदाहरण के लिए: यदि निवासी के पीओआई में "प्रीती" लिखा है, तो यदि निवासी चाहे तो "प्रीति" को अभिलेख किया जा सकता है।
6	जन्मतिथि	18 वर्ष की आयु तक के निवासियों के लिए स्वीकार्य जन्मतिथि/रिश्ते का प्रमाण दस्तावेज विनिर्दिष्ट अपवाद के साथ जन्मतिथि प्रमाणपत्र होगा। केवल सत्यापित जन्मतिथि के मामले में आधार पर पूरी जन्मतिथि अंकित की जाएगी। 01.10.2023 को या उसके बाद जन्में निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
7	पता	पूरा पता लिखें। कृपया पते का मूल प्रमाण दस्तावेज साथ में लाएं। पिन कोड और डाकघर लिखना अनिवार्य है। राज्य, जिला, उप जिला और ग्राम/कस्बा/शहर(वीटीसी) का नाम चयनित पिन कोड के आधार पर स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मार्फत (सी/ओ) फील्ड पते का अंश है और इसके लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पीओए दस्तावेज में यथा उल्लिखित आधार पते में बदलाव किए बिना पते को पूरा करने के लिए मामूली सुधार/संवर्द्धन करने की अनुमति है। कृपया ध्यान दें कि आधार पत्र दिए गए पते पर ही डिलीवर किया जाएगा।
9	एचओएफ आधारित अद्यतन	निवासी और एचओएफ को एचओएफ आधारित अपडेट के लिए आधार केंद्र पर जाना होगा तथा एचओएफ एवं आवेदक के नाम वाले संबंध दस्तावेज का प्रमाण और एचओएफ का नवीनतम आधार प्रस्तुत करना होगा।
	दस्तावेजों की सूची	दस्तावेजों की वैध सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट [*] पर उपलब्ध है। निवासी और आधार ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार हो।
	नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिक	नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों को अलग आधार नामांकन/अपडेट फार्म भरना होगा।

9	पहचान का निशान:	वार्ड/सं.:	क्षेत्र/मोहल्ला/सेक्टर:
	ग्राम/कस्बा/शहर:	डाकघर (अनिवार्य):	
	जिला:	राज्य:	उप-जिला:
	ई-मेल:	मोबाइल नं.:	पिन कोड(अनिवार्य):
10	जनसांख्यिकीय/दस्तावेज अद्यतन (दस्तावेज के नाम लिखें। दस्तावेजों की सूची के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट देखें)		
क.	पीओआई (पहचान का प्रमाण)	ख.	पीओए (पते का प्रमाण)
ग.	डीओबी (जन्मतिथि)	घ.	पीओआर (संबंध का प्रमाण)

1. मैं समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त सूचना किसी एजेंसी को केवल प्रमाणीकरण के दौरान मेरी सहमति से या आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जा सकती है। मुझे यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी पहचान की सूचना (मूल बायोमेट्रिक्स को छोड़कर) को एक्सेस का अधिकार है।
2. मैं इस बात की पुष्टि करता/करती हूँ कि प्रस्तुत की गई सूचना/दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं और किसी भी समय यदि उक्त सूचना गलत/धोखाधड़ी/झूठी पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध लागू कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
3. मैं इस तरह की सूचना को तैयार करने या उसके अनुरक्षित से संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से पहचान, पते, जन्म और रिश्ते के साक्ष्य के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।
4. मैं सत्यापन के उद्देश्य से उपरोक्त सूचना और सहायक दस्तावेजों या उक्त प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी सूचना को, ऐसे दस्तावेजों/सूचना की तैयार करने या उनके अनुरक्षित से संबंधित सरकारी एजेंसियों और प्राधिकारियों के साथ साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।
5. मैं एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं बालक /वार्ड का माता-पिता/संरक्षक हूँ और मैं बालक /वार्ड के आधार विवरण को नामांकित/ अपडेट करने के उद्देश्य से अपना आधार प्रमाणीकरण देना चाहता हूँ।

सत्यापनकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर:

(मुहर न होने की स्थिति में सत्यापनकर्ता को अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए)

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

नामांकन एजेंसी द्वारा भरा जाएगा:

नामांकन की तारीख और समय: _____

नोट: दिव्यांगजन की स्थिति में, दिव्यांगजन के कानूनी संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

*निवासी का तात्पर्य आधार अधिनियम की धारा 2(फ) के अनुसार निवासी से है।

**अनिवासी भारतीय के मामले में, पीओआई के रूप में केवल वैध भारतीय पासपोर्ट स्वीकार्य होगा। .

विदेशी नागरिक द्वारा नामांकन/अद्यतन चाहने की स्थिति में, अलग प्रपत्र का प्रयोग किया जाएगा। 1.10.2023 को या उसके बाद जन्में बालक के नामांकन के लिए जन्मतिथि प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

जीवनचर्या को सुगम बनाने के लिए अपनी आधार सूचना को सदैव अपडेट रखें। यदि आपका आधार नंबर 10 साल से अधिक समय पूर्व जारी किया गया था और अपडेट नहीं किया गया है, तो यह अनुशंसा की जाती है कि जनसांख्यिकीय सूचना की निरंतर सटीकता के लिए सहायक दस्तावेज (पीओआई/पीओए) को अपडेट रखें।

5 वर्ष की आयु से अधिक और 18 वर्ष एवं उससे कम आयु के भारतीय निवासी या अनिवासी भारतीय बच्चों के संबंध में आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र भरने के लिए पालन किए जाने वाले अनुदेश

प्रपत्र क्र.सं.	फील्ड	अनुदेश
1	नामांकन का प्रकार	कृपया आवश्यकता – नया नामांकन या अद्यतन पर सही का निशान अंकित करें
2	स्थिति	कृपया निवासीय स्थिति चुने। नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों द्वारा अलग फार्म प्रयुक्त किया जाना चाहिए। एनआरआई के मामले में, वैध भारतीय पासपोर्ट ही स्वीकृत पीओआई होगा।
3 एवं 10	जनसांख्यिकीय अद्यतन (मोबाइल, जन्मतिथि, पता, नाम, लिंग, ईमेल)	निवासी को अपना आधार नंबर दर्ज करके केवल अपेक्षित सेवा का चयन करना है। नाम के अन्यत्र अद्यतन की स्थिति में, विद्यमान आधार में इंगित नाम का उल्लेख किया जाए (दस्तावेज और आधार के नाम में मेल खाना चाहिए) अन्य अद्यतन अनुरोध के मामलों में केवल आवश्यक फील्ड भरना होगा।
3 एवं 10	दस्तावेज अद्यतन	दस्तावेज अद्यतन करने की स्थिति में, निवासी को विद्यमान आधार के अनुसार नाम और पते का मेल खाता दस्तावेज जमा करना होगा। दस्तावेज अपडेट के मामले में, निवासी को केवल आधार नंबर, नाम और दस्तावेज का नाम भरना होगा।
4	नाम	अभिवादन/शीर्षक के बिना पूरा नाम लिखें। कृपया मूल पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज साथ में लाएं। पीओआई के विपरीत निवासी के नाम में परिवर्तन की अनुमति है परंतु यह कि परिवर्तन केवल मामूली वर्तनी का हो। उदाहरण के लिए: यदि निवासी के पीओआई में "प्रीती" लिखा है, तो यदि निवासी चाहे तो "प्रीति" को अभिलेख किया जा सकता है।
7	जन्मतिथि	18 वर्ष की आयु तक के निवासियों के लिए स्वीकार्य जन्मतिथि/रिश्ते का प्रमाण दस्तावेज विनिर्दिष्ट अपवाद के साथ जन्मतिथि प्रमाणपत्र होगा। केवल सत्यापित जन्मतिथि के मामले में आधार पर पूरी जन्मतिथि अंकित की जाएगी। 01.10.2023 को या उसके बाद जन्में निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
8	एचओएफ आधारित बाल नामांकन	एचओएफ आधारित नामांकन के संबंध में 18 वर्ष तक के बालक के लिए माता-पिता दोनों का नाम और आधार नंबर अनिवार्य है। माता-पिता में से किसी एक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है। कृपया माता-पिता का आधार नंबर उपलब्ध न होने की स्थिति में कारण बताएं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि जन्म प्रमाणपत्र में बालक का उपयुक्त नाम शामिल है, जैसा कि आधार में अपेक्षित है। दस्तावेज के विपरीत निवासी के नाम में परिवर्तन तब तक स्वीकार्य है जब तक परिवर्तन केवल मामूली वर्तनी का हो। एचओएफ आधारित नामांकन के लिए निवासी और एचओएफ को आधार केंद्र पर जाना होगा तथा एचओएफ एवं आवेदक के नाम और संबंध के प्रमाण का दस्तावेज तथा एचओएफ का नवीनतम आधार प्रस्तुत करना होगा।
9	पता	पूरा पता लिखें। कृपया पते का मूल प्रमाण दस्तावेज साथ में लाएं। पिन कोड और डाकघर लिखना अनिवार्य है। राज्य, जिला, उप जिला और ग्राम/कस्बा/शहर(बीटीसी) का नाम चयनित पिन कोड के आधार पर स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मार्फत (सी/ओ) फील्ड पते का अंश है और इसके लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पीओए दस्तावेज में यथा उल्लिखित आधार पते में बदलाव किए बिना पते को पूरा करने के लिए मामूली सुधार/संवर्द्धन करने की अनुमति है। कृपया ध्यान दें कि आधार पत्र दिए गए पते पर ही डिलीवर किया जाएगा।
	दस्तावेजों की सूची	दस्तावेजों की वैध सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट [*] पर उपलब्ध है। निवासी और आधार ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज समय-

		समय पर प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार हो।
	नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिक	नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों को अलग आधार नामांकन/अपडेट फार्म भरना होगा।

5 वर्ष तक की आयु के भारतीय निवासी या अनिवासी भारतीय बच्चों के लिए आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र कृपया प्रपत्र भरते समय पीछे दिए गए अनुदेशों का पालन करें। केवल बड़े अक्षरों का प्रयोग करें।

1	<input type="checkbox"/> नया नामांकन	<input type="checkbox"/> अद्यतन
2	<input type="checkbox"/> भारतीय निवासी*	<input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय (एनआरआई**)
3	अद्यतन के मामले में –आधार नंबर (यूआईडी): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> जन्मतिथि <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> केवल भाषा अद्यतन	
4	नाम (पीओआर दस्तावेज के अनुसार):	
5	जन्म पंजीकरण संख्या (नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार):	
6	लिंग: <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> उभयलिंगी/ट्रांसजेंडर	7 दस्तावेज के अनुसार जन्मतिथि: D D / M M / Y Y Y Y
8	<p>एचओएफ आधारित नामांकन: माता और पिता का आधार नंबर अनिवार्य है तथा आधार अधिप्रमाणन हेतु माता-पिता में से किसी एक का होना आवश्यक है।</p> <p>माता का नाम: माता का आधार नंबर: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>पिता का नाम: पिता का आधार नंबर: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>माता-पिता में से किसी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, उसका कारण बतायें:.....</p> <p><i>माता-पिता दोनों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, संरक्षक को प्रमाणित करना होगा और जहां भी उपलब्ध हो माता-पिता के आधार नंबर प्रस्तुत करने होंगे। संरक्षक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है।</i></p> <p>माता-पिता में से किसी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, उसका कारण बतायें:</p> <p>संरक्षक का नाम: संरक्षक का आधार नंबर: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
	प्रस्तुत दस्तावेज के नाम लिखें। क. पीओआर एवं डीओबी: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र (नाम सहित)	ख. पीओआई/पीओआर एवं डीओबी: पासपोर्ट <input type="checkbox"/> (केवल एनआरआई के लिए लागू) पासपोर्ट संख्या :
	दस्तावेज आधारित नामांकन: यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र <input type="checkbox"/> (केवल शिशु देखभाल संस्थानों, अनाथालयों आदि में बच्चों के लिए)	
	पता: मार्फत (नाम-वैकल्पिक)	
	मकान नं./ बिल्डिंग/अपार्टमेंट:	गली/रोड/लेन:
9	पहचान का निशान: वार्ड सं.:	क्षेत्र/मोहल्ला/सेक्टर:

	ग्राम/ कस्बा/शहर:	डाकघर (अनिवार्य):		
	जिला:	उप-जिला:	राज्य:	
	ई-मेल:	मोबाइल नं.:	पिन कोड (अनिवार्य):	
10	जनसांख्यिकीय अद्यतन (दस्तावेज के नाम लिखें। दस्तावेजों की सूची के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट देखें)			
	क. पीओआई (पहचान का प्रमाण)	ख. पीओए (पते का प्रमाण)		
	ग. डीओबी (जन्मतिथि)	घ. पीओआर (संबंध का प्रमाण)		

1. मैं समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त सूचना किसी एजेंसी को केवल प्रमाणीकरण के दौरान मेरी सहमति से या आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जा सकती है। मुझे यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी पहचान की सूचना (मूल बायोमेट्रिक्स को छोड़कर) को एक्सेस का अधिकार है।
2. मैं इस बात की पुष्टि करता/करती हूँ कि प्रस्तुत की गई सूचना/दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं और किसी भी समय यदि उक्त सूचना गलत/धोखाधड़ी/झूठी पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध लागू कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
3. मैं इस तरह की सूचना को तैयार करने या उसके अनुरक्षित से संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से पहचान, पते, जन्म और रिश्ते के साक्ष्य के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।
4. मैं सत्यापन के उद्देश्य से उपरोक्त सूचना और सहायक दस्तावेजों या उक्त प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी सूचना को, ऐसे दस्तावेजों/सूचना की तैयार करने या उनके अनुरक्षित से संबंधित सरकारी एजेंसियों और प्राधिकारियों के साथ साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।
5. मैं एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं बालक /वार्ड का माता-पिता/संरक्षक हूँ और मैं बालक /वार्ड के आधार विवरण को नामांकित/ अपडेट करने के उद्देश्य से अपना आधार प्रमाणीकरण देना चाहता हूँ।

सत्यापनकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर:

(मुहर न होने की स्थिति में सत्यापनकर्ता को अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए)

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

नामांकन एजेंसी द्वारा भरा जाएगा:

नामांकन की तारीख और समय: _____

*निवासी का तात्पर्य आधार अधिनियम की धारा 2(फ) के अनुसार निवासी से है।

**अनिवासी भारतीय के मामले में, पीओआई के रूप में केवल वैध भारतीय पासपोर्ट स्वीकार्य होगा।

विदेशी नागरिक द्वारा नामांकन/अद्यतन चाहने की स्थिति में, अलग प्रपत्र का प्रयोग किया जाएगा। 1.10.2023 को या उसके बाद जन्में बालक के नामांकन के लिए जन्मतिथि प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

जीवनचर्या को सुगम बनाने के लिए अपनी आधार सूचना को सदैव अपडेट रखें। यदि आपका आधार नंबर 10 साल से अधिक समय पूर्व जारी किया गया था और अपडेट नहीं किया गया है, तो यह अनुशंसा की जाती है कि जनसांख्यिकीय सूचना की निरंतर सटीकता के लिए सहायक दस्तावेज (पीओआई/पीओए) को अपडेट रखें।

5 वर्ष तक की आयु के भारतीय निवासी या अनिवासी भारतीय बच्चों के संबंध में आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र भरने के लिए पालन किए जाने वाले अनुदेश

प्रपत्र क्र.सं.	फील्ड	अनुर्देश
1	नामांकन का प्रकार	कृपया आवश्यकता – नया नामांकन या अद्यतन पर सही का निशान अंकित करें
2	स्थिति	कृपया निवासीय स्थिति चुने। नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों द्वारा अलग फार्म प्रयुक्त किया जाना चाहिए। एनआरआई के मामले में, वैध भारतीय पासपोर्ट ही स्वीकृत पीओआई होगा।
3 एवं 10	जनसांख्यिकीय अद्यतन (मोबाइल, जन्मतिथि, पता, नाम, लिंग, ईमेल)	निवासी को अपना आधार नंबर दर्ज करके केवल अपेक्षित सेवा का चयन करना है। नाम के अन्यत्र अद्यतन की स्थिति में, विद्यमान आधार में इंगित नाम का उल्लेख किया जाए (दस्तावेज और आधार के नाम में मेल खाना चाहिए) अन्य अद्यतन अनुरोध के मामलों में केवल आवश्यक फील्ड भरना होगा।
4	नाम	अभिवादन/शीर्षक के बिना पूरा नाम लिखें। कृपया मूल पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज साथ में लाएं। पीओआई के विपरीत निवासी के नाम में परिवर्तन की अनुमति है परंतु यह कि परिवर्तन केवल मामूली वर्तनी का हो। उदाहरण के लिए: यदि निवासी के पीओआई में "प्रीती" लिखा है, तो यदि निवासी चाहे तो "प्रीति" को अभिलेख किया जा सकता है।
7	जन्मतिथि	18 वर्ष की आयु तक के निवासियों के लिए स्वीकार्य जन्मतिथि/रिश्ते का प्रमाण दस्तावेज विनिर्दिष्ट अपवाद के साथ जन्मतिथि प्रमाणपत्र होगा। केवल सत्यापित जन्मतिथि के मामले में आधार पर पूरी जन्मतिथि अंकित की जाएगी। 01.10.2023 को या उसके बाद जन्में निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
8	एचओएफ आधारित बाल नामांकन	एचओएफ आधारित नामांकन के संबंध में 18 वर्ष तक के बालक के लिए माता-पिता दोनों का नाम और आधार नंबर अनिवार्य है। माता-पिता में से किसी एक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है। कृपया माता-पिता का आधार नंबर उपलब्ध न होने की स्थिति में कारण बताएं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि जन्म प्रमाणपत्र में बालक का उपयुक्त नाम शामिल है, जैसा कि आधार में अपेक्षित है। दस्तावेज के विपरीत निवासी के नाम में परिवर्तन तब तक स्वीकार्य है जब तक परिवर्तन केवल मामूली वर्तनी का हो। एचओएफ आधारित नामांकन के लिए निवासी और एचओएफ को आधार केंद्र पर जाना होगा तथा एचओएफ एवं आवेदक के नाम और संबंध के प्रमाण का दस्तावेज तथा एचओएफ का नवीनतम आधार प्रस्तुत करना होगा।
9	पता	पूरा पता लिखें। कृपया पते का मूल प्रमाण दस्तावेज साथ में लाएं। पिन कोड और डाकघर लिखना अनिवार्य है। राज्य, जिला, उप जिला और ग्राम/कस्बा/शहर(वीटीसी) का नाम चयनित पिन कोड के आधार पर स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मार्फत (सी/ओ) फील्ड पते का अंश है और इसके लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पीओए दस्तावेज में यथा उल्लिखित आधार पते में बदलाव किए बिना पते को पूरा करने के लिए मामूली सुधार/संवर्द्धन करने की अनुमति है। कृपया ध्यान दें कि आधार पत्र दिए गए पते पर ही डिलीवर किया जाएगा।
	दस्तावेजों की सूची	दस्तावेजों की वैध सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट [*] पर उपलब्ध है। निवासी और आधार ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार हो।
	नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिक	नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों को अलग आधार नामांकन/अपडेट फार्म भरना होगा।

नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र (सभी आयु वर्ग)

कृपया प्रपत्र भरते समय पीछे दिए गए अनुर्देशों का पालन करें। केवल बड़े अक्षरों का प्रयोग करें (केवल दस्तावेज आधार नामांकन)।

1	<input type="checkbox"/> नया नामांकन <input type="checkbox"/> अद्यतन	
2	<input type="checkbox"/> ओसीआई कार्ड धारक <input type="checkbox"/> नेपाल/भुटान के नागरिक <input type="checkbox"/> एलटीवी धारक <input type="checkbox"/> तिब्बती शरणार्थी <input type="checkbox"/> अन्य विदेशी	
3	अद्यतन की स्थिति में – आधार नंबर(यूआईडी): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक अपडेट(फोटो+ फिंगरप्रिंट+आईरिस) <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ई-मेल <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> दस्तावेज अद्यतन <input type="checkbox"/> केवल भाषा अद्यतन <input type="checkbox"/> जन्मतिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> नाम	
4	राष्ट्रीयता:	
5	नाम (पीओआई के अनुसार नाम):	
6	लिंग: <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> उभयलिंगी/ ट्रांसजेंडर	7 आयु: वर्ष या जन्मतिथि: D D / M M / Y Y Y Y <input type="checkbox"/> लगभग <input type="checkbox"/> घोषित <input type="checkbox"/> सत्यापित
8	पता: मार्फत (नाम-वैकल्पिक) मकान नं./ बिल्डिंग/अपार्टमेंट: गली/रोड/लेन: पहचान का निशान: वार्ड सं.: क्षेत्र/मोहल्ला/सेक्टर: ग्राम/कस्बा/ शहर: डाकघर: जिला: उप-जिला: राज्य: ई-मेल(अनिवार्य): *मोबाइल नं.: पिन कोड(अनिवार्य):	
9	<u>अतिरिक्त विवरण:</u> पासपोर्ट सं.....पासपोर्ट समाप्ति तिथि D D / M M / Y Y Y Y आगमन तिथि D D / M M / Y Y Y Y	
ओसीआई धारक	ओसीआई नंबरओसीआई निर्गम तिथि D D / M M / Y Y Y Y ई-एफआरआरओ पंजी.सं..... ...	
नेपाल/भुटान के नागरिक	आधार नामांकन हेतु विचारित दस्तावेज (दस्तावेज के नाम लिखें। दस्तावेज की सूची के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट देखें) क. पीओआई(पहचान का प्रमाण)..... ख. पीओए(पते का प्रमाण)..... ग. डीओबी(जन्मतिथि का प्रमाण) घ. पीओआई-2 (आवश्यकतानुसार)	
एलटीवी धारक	एलटीवी सं.एलटीवी निर्गम तिथि D D / M M / Y Y Y Y एलटीवी समाप्ति तिथि D D / M M / Y Y Y Y	

तिब्बती शरणार्थी	पहचान प्रमाणपत्र सं. समाप्ति तिथि D D / M M / Y Y Y Y ई-एफआरआरओ पंजी.सं.
अन्य विदेशी	बीजा सं. बीजा की किस्म/श्रेणी बीजा निर्गम तिथि D D / M M / Y Y Y Y बीजा समाप्ति तिथि D D / M M / Y Y Y Y ई-एफआरआरओ पंजी.सं.....
10	जनसांख्यिकीय/दस्तावेज अद्यतन (दस्तावेज के नाम लिखें। दस्तावेजों की सूची के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट देखें) क. पीओआई (पहचान का प्रमाण)..... ख. पीओए (पते का प्रमाण) ग. डीओबी (जन्मतिथि) घ. पीओआई-2 (आवश्यकतानुसार)

1. मैं समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त सूचना किसी एजेंसी को केवल प्रमाणीकरण के दौरान मेरी सहमति से या आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जा सकती है। मुझे यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी पहचान की सूचना (मूल बायोमेट्रिक्स को छोड़कर) को एक्सेस का अधिकार है।
2. मैं इस बात की पुष्टि करता/करती हूँ कि प्रस्तुत की गई सूचना/दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं और किसी भी समय यदि उक्त सूचना गलत/धोखाधड़ी/झूठी पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध लागू कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
3. मैं इस तरह की सूचना को तैयार करने या उसके अनुरक्षित से संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से पहचान, पते, जन्म और रिश्ते के साक्ष्य के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।
4. मैं सत्यापन के उद्देश्य से उपरोक्त सूचना और सहायक दस्तावेजों या उक्त प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी सूचना को, ऐसे दस्तावेजों/सूचना की तैयार करने या उनके अनुरक्षित से संबंधित सरकारी एजेंसियों और प्राधिकारियों के साथ साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।
5. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं पिछले 12 महीनों के दौरान न्यूनतम 182 दिनों से भारत में रह रहा हूँ।

सत्यापनकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर:

(मुहर न होने की स्थिति में सत्यापनकर्ता को अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए)

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

नामांकन एजेंसी द्वारा भरा जाएगा:

नामांकन की तारीख और समय: _____

नोट: दिव्यांगजन की स्थिति में, दिव्यांगजन के कानूनी संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

भारतीय निवासी और अनिवासी भारतीयों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला पृथक प्रपत्र।

जीवनचर्या को सुगम बनाने के लिए अपनी आधार सूचना को सदैव अपडेट रखें। यदि आपका आधार नंबर 10 साल से अधिक समय पूर्व जारी किया गया था और अपडेट नहीं किया गया है, तो यह अनुशंसा की जाती है कि जनसांख्यिकीय सूचना की निरंतर सटीकता के लिए सहायक दस्तावेज (पीओआई/पीओए) को अपडेट रखें।

*एसएमएस केवल भारतीय मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आधार के साथ गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के लिंक होने की स्थिति में, मैसेज केवल ई-मेल के जरिए भेजा जाएगा।

**नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों के संबंध में आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र भरने के लिए पालन किए जाने वाले
अनुर्देश (सभी आयु वर्ग)**

प्रपत्र क्र.सं.	फील्ड	अनुर्देश
1	नामांकन का प्रकार	कृपया आवश्यकता – नया नामांकन या अद्यतन पर सही का निशान अंकित करें
2	स्थिति	कृपया निवासीय स्थिति चुने। भारतीय निवासी और अनिवासी भारतीय द्वारा पृथक फार्म प्रयुक्त किया जाना चाहिए। नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिक की स्थिति में, कॉलम 9 के अनुसार उल्लिखित संबंधित दस्तावेज आवश्यक है। नामांकन के समय सभी दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड किया जाएगा।
3 एवं 10	जनसांख्यिकीय अद्यतन (मोबाइल, जन्मतिथि, पता, नाम, लिंग, ईमेल)	निवासी को आधार नंबर दर्ज करना होगा और केवल अपेक्षित सेवा का चयन करना होगा। नाम के अन्यत्र अपडेट के मामले में, विद्यमान आधार में इंगित नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए (दस्तावेज और आधार में नाम मेल खाना चाहिए)। अन्य अद्यतन अनुरोधों के मामले में केवल आवश्यक फ़ील्ड भरना होगा। संदेश भारतीय मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अद्यतन के इच्छुक विदेशियों के लिए नाम, लिंग और जन्मतिथि अद्यतन को यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए असाधारण प्रबंधन के अनुसार संसाधित किया जाएगा।
4	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट/पीओआई दस्तावेज के अनुसार, नेपाल/भूटान नागरिकों भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के लिए पासपोर्ट अनिवार्य नहीं है।
5	नाम	अभिवादन/शीर्षक के बिना पूरा नाम लिखें। कृपया मूल पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज साथ में लाएं। नाम ठीक ऐसे ही दर्ज करना चाहिए जैसे पासपोर्ट/पीओआई दस्तावेज में है।
7	पता	पूरा भारतीय पता लिखें। कृपया पते के प्रमाण का मूल दस्तावेज साथ में लाएं। पते की फील्ड में पिन कोड अनिवार्य है। राज्य, जिला, उप जिला और वीटीसी का नाम चयनित पिन कोड के आधार पर स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मार्फत (सी/ओ) फ़ील्ड केवल पते का अंश है और इसके लिए किसी दस्तावेजी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। कृपया नोट कर लें कि आधार-पत्र, केवल दिए गए पते पर ही भेजा जाएगा
	एचओएफ आधारित अद्यतन	18 वर्ष से अधिक आयु के नामांकन के इच्छुक विदेशियों के लिए एचओएफ आधारित नामांकन/अद्यतन उपलब्ध नहीं होगा।
	दस्तावेजों की सूची	दस्तावेजों की वैध सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट [*] पर उपलब्ध है। निवासी और आधार ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार हों।
	वैधता	क) नामांकन के इच्छुक विदेशियों के लिए, जारी आधार केवल बीजा की वैधता अवधि तक वैध होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध रहेगा ख) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्षों की एक अवधि के लिए वैध रहेगा ग) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता अवधि तक वैध रहेगा।

अनुसूची II

[विनियम 10(2) देखें]

आधार नामांकन के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची (0-5 वर्ष)			
✓ का अर्थ स्वीकार्य और ■ का अर्थ अस्वीकार्य है।			
● नामांकन प्रकार I: परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन			
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (आवेदन की तिथि को दस्तावेज वैध होना चाहिए)	पीओआर (संबंध का प्रमाण) दस्तावेज, जिसमें बालक का नाम और एचओएफ (परिवार का मुखिया) का नाम शामिल हो।	डीओबी (जन्मतिथि) दस्तावेज जिसमें नाम और जन्मतिथि शामिल हो
1.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत और उसके अंतर्गत बनाये नियमों के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र	✓	✓
2.	भारतीय पासपोर्ट	✓	■
● नामांकन प्रकार II: दस्तावेज आधारित नामांकन			
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (आवेदन की तिथि को दस्तावेज वैध होना चाहिए)	पीओआई (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और फोटो शामिल हो	पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज, जिसमें नाम और भारतीय पता शामिल हो
3.	अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा यूआईडीआई के मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र (केवल आश्रय ग्रह या अनाथालय से संबंधित बच्चों के लिए)।	✓	✓
● ओसीआई कार्ड धारकों/नेपाल और भूटान नागरिकों/नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज			
4.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड, उन निवासियों के लिए जो पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हों।	✓	■*
5.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज।	✓	■*
6.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है, जो पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हैं।	✓	■*
7.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, निम्नलिखित दोनों दस्तावेज जमा करने होंगे: a) नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र ख. 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र	✓	■*

* आधार नामांकन (5 वर्ष से अधिक) के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची के अनुसार पता प्रमाण के दस्तावेज लागू होंगे।

महत्वपूर्ण नोट:

- 1) 1.10.2023 को और उसके बाद जन्मे भारतीय निवासी और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- 2) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को छोड़कर) माता-पिता में से कोई भी परिवार का मुखिया बन सकता है।
- 3) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व परिवार के मुखिया (एचओएफ) के पास वैध आधार होना चाहिए।
- 4) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर आवश्यक है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है।
- 5) पीओआर दस्तावेज में बालक और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 6) परिवार के मुखिया (एचओएफ) के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक के आधार में किया जाएगा।
- 7) नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध रहेगा।
- 8) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- 9) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
- 10) एचओएफ को बालक के नाम पर निम्न में से जारी पहचान के प्रमाण (पीओआई) दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है: -
 - (i) भारतीय पासपोर्ट
 - (ii) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाणपत्र यथा अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र आदि।
 - (iii) केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र।
 - (iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र
- 11) अपवाद संचालन प्रक्रिया, यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित जांच के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।
- 12) नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज साथ में लाएं। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है। मूल दस्तावेज स्कैन करके निवासी को वापस कर दिए जाते हैं।

आधार नामांकन के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची (5 वर्ष से अधिक)

✓ का अर्थ स्वीकार्य और ■ का अर्थ अस्वीकार्य है।

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (आवेदन की तिथि को दस्तावेज वैध होना चाहिए)	पीओआई (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और फोटो शामिल हो	पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और भारतीय पता शामिल हो	पीओआर (संबंध का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें आवेदक का नाम और एचओएफ (परिवार का मुखिया) के नाम शामिल हों	डीओबी (जन्मतिथि) दस्तावेज जिसमें नाम और डीओबी शामिल हो

1.	भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	■	■	■
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	■
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र	✓	✓	■	■
5.	डाइविंग लाइसेंस	✓	■	■	■
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	■	■	✓
7.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र/स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	■	✓	✓
8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ ईसीएचएस/ईएसआईसी/ मेडी-क्लेम कार्ड	✓	■	■	■
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	✓	✓	■	■
10.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✓	✓	✓	■
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त/ बिना फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाणपत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित पीओआई दस्तावेज की आवश्यकता है)	■	■	✓	■
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाणपत्र।	✓	✓	✓	■
13.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाणपत्र	✓	■	✓	✓
14.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का प्रमाण है। पासबुक में दर्शाए गए पते के संबंध में पते का प्रमाण बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	■	■
15.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	✓
16.	यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र:				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	■	✓	■	■

	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए' / ईपीएफओ अधिकारी	■	✓	■	■
	(iii) तहसीलदार/ राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	■	✓	■	■
	(iv) नाको / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के 'परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में))	✓	✓	■	■
	(v) अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बच्चों के लिए संबंधित आश्रय गृह या अनाथालय)	✓	✓	■	■
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	■	✓	■	■
	i. ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	■	✓	■	■
17.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	■	✓	■	■
18.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	■	✓	■	■
19.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	■	✓	■	■
20.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख/पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार।	■	✓	■	■
21.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीनों से पुराना न हो)	■	✓	■	■
22.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	■	✓	■	■
23.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	■	✓	■	■
24.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके तहत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।	■	■	✓	✓
25.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज ।	■	■	✓	■
26.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	■	■
27.	कानूनी संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	■	■	✓	■
ओसीआई कार्ड धारकों/एलटीवी दस्तावेज धारकों/नेपाल और भूटान के नागरिक/अन्य विदेशी नागरिक के लिए लागू दस्तावेज					

28.	निवासी जो ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	■	■	■
29.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	■	■
30.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- क. नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र ख. नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ग. भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र	✓	■	■	■
31.	भारत में ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक रहे अन्य विदेशी निवासियों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	✓	■	■	■
32.	विदेशी नागरिकों के लिए एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	■	✓	■	■

महत्वपूर्ण नोट:

- क) 1.10.2023 को और उसके बाद जन्मे भारतीय निवासी और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- ख) किसी दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम और फोटो हो।
- ग) किसी दस्तावेज को पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम और पता शामिल हो
- घ) निवासी के नाम पर ही सभी पीओआई, पीओए, डीओबी दस्तावेज जारी किए जाएंगे। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर दस्तावेजों के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- ङ) यदि निवासी के पास पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा। परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए किया जाएगा, जिनके नाम पीओआर दस्तावेज में दर्ज हैं।
- च) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व परिवार के मुखिया (एचओएफ) के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान परिवार के मुखिया (एचओएफ) को निवासी के साथ रहना होगा।
- छ) मुखिया (एचओएफ) के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।
- ज) निवासी विदेशियों के लिए जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए मान्य होगा।

- झ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
- ट) कृपया जन्मतिथि बदलने के लिए स्व-घोषणा देखें - [*]
- ठ) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें - [*]
- ड) अपवाद निपटान मामलों की प्रक्रिया यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय द्वारा मामले की उचित जांच के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।
- ढ) कार्यालय नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज साथ में लाएं। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है। मूल दस्तावेजों को स्कैन करके निवासी को वापस कर दी जाएगी।

आधार अद्यतन के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची (सभी आयु वर्ग)

✓ का अर्थ स्वीकार्य और ■ का अर्थ अस्वीकार्य है।

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (आवेदन की तिथि को दस्तावेज मान्य होना चाहिए)	पीओआई (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और फोटो शामिल हो	पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें नाम और भारतीय पता शामिल हो	पीओआर (संबंध का प्रमाण) दस्तावेज जिसमें अनुरोधकर्ता का नाम और एचओएफ (परिवार का मुखिया) का नाम शामिल हो	डीओबी (जन्म तिथि) दस्तावेज नाम और डीओबी शामिल हो
1.	भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓*
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	■	■	■
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	■
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र	✓	✓	■	■
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	■	■	■
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	■	■	✓*
7.	केंद्र सरकार द्वारा जारी /राज्य सरकार/पीएसयू/नियामक निकाय/सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र/स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	■	✓	✓*
8.	किसान फोटो पासबुक	✓	✓	■	■
9.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ पीएसयू/ द्वारा जारी सीजीएचएस/ ईसीएचएस/ईएसआईसी/मेडी-क्लेम कार्ड	✓	■	■	■
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/ दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	✓	✓	■	■

11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✓	✓	✓	■
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त/ बिना फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाणपत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित पीओआई दस्तावेज की आवश्यकता है)	✓	✓	✓	■
13.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाणपत्र।	✓	✓	✓	■
14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)	✓	■	■	■
15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाणपत्र	✓	■	✓	✓*
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का प्रमाण है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का प्रमाण बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	■	■
17.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हो/डाकघर की बचत खाता पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी की मुहर सहित)	■	✓	■	■
18.	बैंक खाता विवरण/क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टैम्प सहित)/पोस्ट ऑफिस बचत खाता विवरण (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	■	✓	■	■
19.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाणपत्र।	✓	✓	✓	✓*
20.	यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र:				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	■	✓	■	■
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ ईपीएफओ अफसर	■	✓	■	■

	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	■	✓	■	■
	(iv) नाको / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के 'परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में)	✓	✓	■	■
	(v) अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/ मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बच्चों के लिए संबंधित आश्रय ग्रह या अनाथालय)	✓	✓	■	■
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	■	✓	■	■
	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	■	✓	■	■
21.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	■	✓	■	■
22.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	■	✓	■	■
23.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	■	✓	■	■
24.	संपत्ति कर रसीद (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	■	✓	■	■
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख /पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/अवकाश और लाइसेंस करार।	■	✓	■	■
26.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	■	✓	■	■
27.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू /नियामक निकाय/सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	■	✓	■	■
28.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	■	✓	■	■
29.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके तहत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।	■	■	✓	✓
30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज ।	■	■	✓	■
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	■	■

32.	परिवार के मुखिया (एचओएफ) प्रमाणित करते हुए स्व घोषणा करे कि निवासी के रूप में वह एचओएफ के साथ उसी पते पर रह रहा है, यह केवल एचओएफ के पते के मामले में ही मान्य है। (केवल परिवार के सदस्य/ एचओएफ के सदस्यों का तत्काल पता अद्यतन के संबंध में उपयोग करने के लिए किया जाएगा)	■	■	✓	■
33.	कानूनी संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	■	■	✓	■
ओसीआई कार्ड धारकों/एलटीवी दस्तावेज धारकों/नेपाल और भूटान के नागरिकों/नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज					
34.	निवासी जो ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	■	■	■
35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	■	■
36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- क. नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र ख. नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ग. भारत में नेपाली मिशन/ रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र	✓	■	■	■
37.	भारत में ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक रहे अन्य विदेशी निवासियों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	✓	■	■	■
38.	विदेशी नागरिकों के लिए एफआरआरओ/ एफआरओ द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	■	✓	■	■
नाम, लिंग और जन्मतिथि के अपवादात्मक मामलों के लिए लागू दस्तावेज					

39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए: फोटो सहित पुराने नाम के किसी भी सहायक पीओआई दस्तावेज के साथ नए नाम की राजपत्र अधिसूचना (पहले/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए)/तलाक कर आदेश/गोद लेने का प्रमाणपत्र/विवाह प्रमाणपत्र	✓	■	■	■
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए: यदि निवासी ने शल्य चिकित्सा द्वारा लिंग बदला है तो सर्जन से चिकित्सा प्रमाणपत्र	✓	■	■	■
41.	जन्मतिथि परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके तहत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।	■	■	■	✓

महत्वपूर्ण नोट:

- क) 1.10.2023 को और उसके बाद जन्मे भारतीय निवासी और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- ख) *0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी निवासियों की जन्मतिथि अद्यतन के लिए अनिवार्य रूप से संबंधित राज्यों के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- ग) किसी दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम और फोटो हो।
- घ) किसी दस्तावेज को पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें निवासी का नाम और पता शामिल हो।
- ङ) एक दस्तावेज को पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज दोनों के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है, जब उसमें निवासी का नाम, फोटो और पता शामिल हो।
- च) निवासी के नाम पर ही सभी पीओआई, पीओए, डीओबी दस्तावेज जारी किए जाएंगे। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर दस्तावेजों को परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- छ) निवासी के पास पीओआई और पीओए दस्तावेज न होने की स्थिति में परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा। परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए किया जाएगा, जिनके नाम पीओआर दस्तावेज में दर्ज हैं।
- ज) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व परिवार के मुखिया (एचओएफ) के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान परिवार के मुखिया (एचओएफ) को निवासी के साथ रहना होगा।
- झ) परिवार के मुखिया (एचओएफ) के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।
- ञ) बालक (0-5 वर्ष आयु) के मामले में नाम "बेबी ऑफ ..." है। आधार में, पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए पहले अद्यतन अनुरोध को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।
- ट) विदेशी नागरिकों के लिए आधार का अद्यतन केवल आधार वयस्क नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।

- ठ) आधार नामांकन के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए जारी किया गया आधार केवल बीजा की वैधता तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध रहेगा।
- ड) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- ढ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
- ण) कृपया जन्मतिथि बदलने के लिए स्व-घोषणा देखें - [*]
- त) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें - [*]
- थ) अपवाद निपटान मामलों की प्रक्रिया यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय द्वारा मामले की उचित जांच के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।
- द) कार्यालय नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज साथ में लाएं। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है। मूल दस्तावेजों को स्कैन करके निवासी को वापस कर दी जाएगी।

अनुसूची III

[विनियम 10(4) और 19क देखें]

नामांकन और अद्यतन सूचना का सत्यापन

सूचना	फील्ड	अपेक्षित सत्यापन?	सत्यापन*
व्यक्तिगत ब्यौरा	नाम	जी हां	पहचान के प्रमाण का कोई भी दस्तावेज। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए परिवार का मुखिया।
	जन्मतिथि जी हां	जन्मतिथि (डीओबी) सत्यापित है या नहीं यह इंगित करने के लिए एक फ्लैग लगाया जाए। यदि जन्मतिथि (डीओबी) सत्यापित (लगभग/घोषित) नहीं है, तो जन्म के वर्ष को प्रदर्शित किया जाएगा। जन्मतिथि के अद्यतन की अनुमति केवल सत्यापन पर दी जाती है। 01.10 और उसके बाद जन्में व्यक्ति के लिए नामांकन और अद्यतन के संबंध में जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
	लिंग	जी नहीं	-- अद्यतन की अनुमति केवल सत्यापन पर दी जाती है।
पते का ब्यौरा	आवासीय पता (आधार पत्र की डिलीवरी और अन्य पत्राचार के लिए)	जी हां	पते के प्रमाण का कोई दस्तावेज। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए परिवार का मुखिया।
माता-पिता/संरक्षक का ब्यौरा	माता/पिता/संरक्षक/ पति/पत्नी का नाम	सशर्त	व्यस्कों के मामले में पिता/पति/ संरक्षक का सत्यापन नहीं। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, पिता/माता/संरक्षक का नाम, आधार नंबर और बायोमेट्रिक सूचना (कोई भी एक तरीका) अधिप्रमाणन के लिए कैप्चर की जाएगी। व्यस्को के लिए, पिता/पति/संरक्षक या माता/पत्नी/संरक्षक का नाम वैकल्पिक है।
	माता/पिता/संरक्षक/ पति/पत्नी की नामांकन आईडी/आधार नंबर		
एचओएफ का	एचओएफ का नाम	जी हां	फार्म पर एचओएफ का नाम, यूआईडी

ब्यौरा	एचओएफ की यूआईडी		अधिप्रमाणन के लिए कैप्चर एचओएफ बायोमेट्रिक्स (कोई भी एक तरीका)
संपर्क ब्यौरा	मोबाइल नंबर	जी नहीं	-----
	ईमेल पता	जी नहीं	-----

टिप्पणी: दस्तावेज के स्थान पर अपेक्षित प्रमाण का साक्ष्य देने वाली इलेक्ट्रॉनिकी सूचना भी स्वीकार्य है।

* सत्यापन के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी की सहायता ली जा सकती है।“

सलिल कुमार, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./455/2023-24]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 14 सितंबर 2016 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन दिनांक 9 नवंबर 2022 की अधिसूचना संख्या एचक्यू-16027/1/2022-ईयू-1- मुख्यालय (2022 का क्रमांक 6) के द्वारा किया गया।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

F. No. HQ-21026/1/2022-LEGAL-HQ (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (2 of 2016), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) The Aadhaar (Enrolment and Update) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),—

(a) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(fa) “database” means the organised collection of data, generally stored and accessed in electronic form from a computer network;’;

(b) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(k) “head of family” means such member of the family of an individual undergoing the process of enrolment or update of his demographic information or biometric information, or the legal guardian of such individual,—

(iii) in respect of whom a document or electronic record evidencing proof of relationship with that individual is submitted; and

(iv) who is the father, mother or guardian of such individual;’.

3. In the principal regulations, for regulations 4 and 5, the following regulations shall be substituted, namely:—

“4. Demographic information.—(1) The following demographic information in respect of an individual who is undergoing enrolment and who is above five years of age shall be collected, namely:—

a) Name;

b) Date of birth;

c) Gender; and

d) Address.

(2) In addition to the demographic information referred to in sub-regulation (1), the following demographic information in respect of the individual undergoing the enrolment process may be collected during enrolment, at the option of such individual, namely:—

- a) Mobile number; and
- b) Email address.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), if a NonResident Indian or a foreign national seeks enrolment, he shall be required to furnish his email address.

Explanation.—For the purposes of these regulations, “Non Resident Indian” shall mean a person who is a citizen of India holding a valid Indian passport but not a resident as defined in clause (v) of section 2 of the Act.

(4) If an individual who seeks to enrol is a child or an individual in respect of whom a legal guardian has been appointed and seeks to establish his identity through confirmation of the same by the head of family, in addition to the demographic information under sub-regulation (1), the following additional information in respect of such child or individual shall be collected during enrolment, namely:—

- a) Name of the head of family;
- b) Relationship of the head of family with the individual seeking to enrol;
- c) Aadhaar number of the head of family; and
- d) Biometric information of the head of family.

5. Information for enrolment of a child below five years of age.—The following information in respect of a child below the age of five years who is undergoing enrolment shall be collected, namely:—

- a) Name;
- b) Date of birth;
- c) Gender;
- d) Facial image;
- e) Aadhaar number of parents or the guardian, along with the details of the relationship with the child;
- f) Biometric information of either parent or the guardian, along with his address:

Provided that if the Aadhaar number of the parents or guardian is not available, the reasons for the same shall be recorded:

Provided further that the identity of the parent or guardian referred to in clause (f) shall be established through biometric-based authentication.”

4. In the principal regulations, for regulation 10, the following regulation shall be substituted, namely:—

“10. Submission and verification of information.—(1) An individual who seeks to enrol shall be required to submit an application in the form set out in Schedule I and shall—

- a) present at the enrolment centre, in original, for verification and scanning, one or more documents evidencing proof of identity and proof of address and, where applicable, proof of date of birth or proof of relationship or both, as the case may be; or
- b) give his consent for electronically obtaining the information evidencing the proofs referred to in clause (a) from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information:

Provided that such presentation or electronic obtaining of information shall be subject to the software provided or authorised by the Authority for carrying out the process of enrolment supporting the same.

(2) A list of documents that may be presented to evidence the proofs referred to in sub-regulation (1) is in Schedule II.

(3) Collection of documents evidencing proof of identity and proof of address of an individual shall not be necessary where—

- (a) an enrolment or update of biometric information or demographic information has been carried out by the Registrar General of India; or
- (b) electronic information evidencing the said proofs is available from the databases prepared or maintained by the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information.

(4) Verification of the information collected as part of the process of enrolment shall be done on the basis of documents specified in Schedule III or electronic information evidencing the proofs referred to in clause (a) of sub-regulation (1):

Provided that assistance of any Ministry, Department or agency of the Central Government or a State Government may be taken for the purpose of such verification.”

5. In the principal regulations, in regulation 16, for the words “procedure as specified by the Authority from time to time”, the words “procedure as specified in this Chapter” shall be substituted.

6. In the principal regulations, for regulation 16A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“16A. Update of documents or information.—An Aadhaar number holder may, on completion of every period of 10 years from the date of generation of the Aadhaar number assigned to him, update the documents or the information evidencing proof of identity and proof of address as referred to in regulation 10, at least once, by—

(a) presenting such documents at an enrolment centre or update centre or enrolment and update centre in like manner as is provided in respect of presentation of documents under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 10;

(b) electronically uploading copies of such documents on the website or mobile application of the Authority, in the manner provided for this purpose on such website or application, as the case may be; or

(c) giving his consent for electronically obtaining the information evidencing the said proofs from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information,

so as to help ensure the continued accuracy of his information in the Central Identities Data Repository:

Provided that such presentation, electronic uploading or electronic obtaining shall be subject to the software provided or authorised by the Authority for carrying out the process of update supporting the same.”

7. In the principal regulations, in regulation 27, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) If it is established that more than one Aadhaar numbers have been issued to the same person, the Aadhaar number assigned the earliest shall be retained and all subsequent Aadhaar numbers omitted;”

8. In the principal regulations, after regulation 28, the following regulation shall be inserted, namely:—

“28A. Deactivation of certain Aadhaar numbers.—Without prejudice to anything contained in regulation 28, in respect of a foreign national who is seeking enrolment or is an Aadhaar number holder, Aadhaar number may be deactivated—

(a) upon expiry of the period of validity of their visa for stay in India; or

(b) where the Authority is satisfied that such foreign national does not fulfil the requirements for his entry into or stay in India under the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920), the rules made thereunder and guidelines issued by the Ministry of Home Affairs in this regard from time to time.”

9. In the principal regulations, after regulation 35, the following regulation shall be inserted, namely:—

“36. Doing of act or thing related to delegated power or function.—(1) Any act or thing that is to be or may be done by the Authority under these regulations may also be done by any Member or officer of the Authority or any other person to whom the Authority has delegated the related power or function by general or special order in writing, under section 51 of the Act.

(2) The Authority may determine whether or not an act or thing done by a Member, officer or other person under sub-regulation (1) is related to a power or function delegated as referred to in the said sub-regulation.”

10. In the principal regulations, for “SCHEDULE I”, “SCHEDULE II” and “SCHEDULE III”, respectively, the following Schedules shall be substituted, namely:—

1. I understand that the above information may be provided to an agency with my consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and the rules and regulations made thereunder. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI.
2. I hereby confirm that the information/documents submitted are correct to the best of my knowledge and belief and that, if at any point of time, any of the said information/documents is found to be fraudulently obtained or false, legal action may be initiated against me, in accordance with applicable law.
3. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing requisite proof of identity, address, birth and relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information.
4. I hereby give my consent to sharing of above information and supporting documents or electronic information evidencing said proofs with government agencies and authorities dealing with the preparation or maintenance of such information/documents, for the purpose of verification.

Verifier's Stamp and Signature:

(Verifier must put his/her Name, if stamp is not available)

Applicant's signature/Thumb impression

To be filled by the Enrolment Agency:

Date & time of Enrolment: _____

Note: In case of incapacitated person, the signature will be done by Legal Guardian of Incapacitated Person

*Resident means resident as per Section 2(v) of the Aadhaar Act. **In case of NRI, only valid Indian Passport will be accepted as POI.

In case of foreign national seeking enrolment/update, separate form to be used. Birth certificate is mandatory for enrolling child born on or after 1.10.2023.

Keep your Aadhaar information always updated for enhanced ease of living. If your Aadhaar number was issued more than 10 years ago and has not been updated, it is recommended that supporting documents (POI/POA) are updated for continued accuracy of demographic information.

INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED FOR FILLING UP AADHAAR ENROLMENT / UPDATE FORM FOR RESIDENT INDIAN OR NRI INDIVIDUAL, AGED 18 YEARS AND ABOVE

Form S. No.	Field	Instruction
1	Type of Enrolment	Please tick the requirement – New Enrolment or Update
2	Status	Please select the residential status. Separate form should be used by Foreign national seeking enrolment. In case of NRIs, approved POI shall be valid Indian Passport.
3 & 10	Demographic Update (Mobile, DOB, Address, Name, Gender, Email)	Resident to enter the Aadhaar number and to select the required service only. In case of update other than name, name as in existing Aadhaar to be mentioned (the name in document and Aadhaar should match). Only required field to be filled in case of other update requests.
3 & 10	Document Update	In case of document update, the resident to submit the document containing same name and address as per the existing Aadhaar. Resident to fill only the Aadhaar number, Name and document name in case of document update.
4	Name	Write full name without salutations/titles. Please bring the original Proof of Identity (POI) document. Variation in Resident's Name in contrast to POI is permissible as long as the change is minor spelling only. For Example: If Resident's POI reads "Preeti", then "Priti" can be recorded if Resident wants so.
6	DOB	Accepted DOB/POR document for residents up to 18 years shall be Birth Certificate with specified exceptions. Full Date of Birth shall be printed on Aadhaar card only in case of verified DOB. For individual born on or after 01.10.2023, birth certificate is mandatory for enrolment and update.
7	Address	Write complete address. Please bring the original Proof of Address document. PIN Code and Post Office is mandatory. The Name of State, District, Sub district

		and VTC shall be auto fetched based on the PIN Code selected. C/o Field is part of address only and does not require any documentary support. Minor Corrections/enhancements are permissible to make the address complete without altering the base address as mentioned in POA document Kindly note that the Aadhaar letter will be delivered at the given address only.
9	HOF based Update	The resident and HOF should visit the Aadhaar Centre for HOF based update and to produce the Proof of Relationship document containing the name of HOF & the applicant and the latest Aadhaar of HOF.
	List of Documents	The valid list of documents is available on UIDAI website at [*] Resident and the Aadhaar operator to ensure that the document submitted is as per the list published by the Authority from time to time.
	Foreign national seeking enrolment	Foreign national seeking enrolment to fill separate Aadhaar enrolment/update form.

AADHAAR ENROLMENT / UPDATE FORM FOR RESIDENT INDIAN OR NRI CHILD OF AGE ABOVE 5 YEARS AND BELOW 18 YEARS

Please follow the instructions overleaf while filling up the form. Use capital letters only.

1	<input type="checkbox"/> New Enrolment	<input type="checkbox"/> Update
2	<input type="checkbox"/> Resident Indian*	<input type="checkbox"/> Non-Resident Indian (NRI**)
3	In case of Update – Aadhaar Number (UID): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Biometric Update (Photo + Fingerprint + Iris) <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Document update <input type="checkbox"/> Language only update	
4	Name (as per POI/POR document):	
5	Birth Registration Number (as per the Birth Certificate with Name):	
6	Gender: <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender	7 Age: Yrs OR Date of Birth: D / M / Y Y Y Y <input type="checkbox"/> Approximate <input type="checkbox"/> Declared <input type="checkbox"/> Verified
8	HOF based enrolment: <i>Father and Mother's Aadhaar numbers are mandatory and Aadhaar authentication by one of the parents is required</i> Mother's Name: Mother's Aadhaar No.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Father's Name: Father's Aadhaar No.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> In case any one of the parents is not available, reason thereof: <i>In case both the parents are not available, guardian shall authenticate and must furnish details of Aadhaar numbers of parents wherever available. Aadhaar authentication by the guardian is required.</i> In case both the parents are not available, reason therefor: Guardian's Name:Guardian's Aadhaar No.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Write names of the documents produced. a. POR & DOB: Birth Certificate (with Name) issued by Competent Authority. b. POI/ POR & DOB: <input type="checkbox"/> Passport <input type="checkbox"/> Any POR document Name of the document Passport Number:.....	

9	Document based Enrolment: If HOF/Guardian is not available and write names of document produced as POI (Proof of Identity) POA (Proof of Address) DOB (Date of Birth):		
	Address: C/o (Name-optional)		
	House No./ Bldg./Apt:		Street/Road/Lane:
	Landmark:	Ward No:	Area/Locality/Sector:
	Village/ Town/ City:		Post Office(Mandatory):
	District:	Sub-District:	State:
	E-Mail:	Mobile No.:	Pin Code (Mandatory):
10	Demographic/ Document update (Write Names of the documents. Refer UIDAI website for list of documents)		
	a. POI (Proof of Identity)		b. POA (Proof of Address)
	c. DOB (Date of Birth)		d. POR (Proof of Relationship)

1. I understand that the above information may be provided to an agency with my consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and the rules and regulations made thereunder. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI.
2. I hereby confirm that the information/documents submitted are correct to the best of my knowledge and belief and that, if at any point of time, any of the said information/documents is found to be fraudulently obtained or false, legal action may be initiated against me, in accordance with applicable law.
3. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing requisite proof of identity, address, birth and relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information.
4. I hereby give my consent to sharing of above information and supporting documents or electronic information evidencing said proofs with government agencies and authorities dealing with the preparation or maintenance of such information/documents, for the purpose of verification.
5. I hereby confirm that I am the parent/guardian of the child/ward and I wish to give my Aadhaar authentication for the purpose of enrolling/updating the Aadhaar details of the child/ward.

Verifier's Stamp and Signature:

(Verifier must put his/ her Name, if stamp is not available) Applicant's signature Signature of Parent/Guardian

To be filled by the Enrolment Agency only: Date & time of Enrolment: _____

Note: In case of incapacitated person, the signature will be done by Legal Guardian of Incapacitated Person

*Resident means resident as per Section 2(v) of the Aadhaar Act. **In case of NRI, only valid Indian Passport will be accepted as POI.

In case of foreign national seeking enrolment/update, separate form to be used. Birth certificate is mandatory for enrolling child born on or after 1.10.2023.

Keep your Aadhaar information always updated for enhanced ease of living. If your Aadhaar number was issued more than 10 years ago and has not been updated, it is recommended that supporting documents (POI/POA) are updated for continued accuracy of demographic information.

**INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED FOR FILLING UP AADHAAR ENROLMENT / UPDATE FORM
FOR RESIDENT INDIAN OR NRI CHILD OF AGE ABOVE 5 YEARS AND BELOW 18 YEARS**

Form S. No.	Field	Instruction
1	Type of Enrolment	Please tick the requirement – New Enrolment or Update
2	Status	Please select the residential status. Separate form should be used by Foreigner. In case of NRIs, approved POI shall be valid Indian Passport.
3 & 10	Demographic Update (Mobile, DOB, Address, Name, Gender, Email)	Resident to enter the Aadhaar number and to select the required service only. In case of update other than name, name as in existing Aadhaar to be mentioned (the name in document and Aadhaar should match). Only required field to be filled in case of other update requests.
3 & 10	Document Update	In case of document update, the resident to submit the document containing same name and address as per the existing Aadhaar. Resident to fill only the Aadhaar number, Name and document name in case of document update.
4	Name	Write full name without salutations/titles. Please bring the original Proof of Identity (POI) document. Variation in Resident's Name in contrast to POI is permissible as long as the change is minor spelling only. For Example: If Resident's POI reads "Preeti", then "Priti" can be recorded if Resident wants so.
7	DOB	Accepted DOB/POR document for residents up to 18 years shall be Birth Certificate with specified exceptions. Full Date of Birth shall be printed on Aadhaar card only in case of verified DOB. For individual born on or after 01.10.2023, birth certificate is mandatory for enrolment and update.
8	HOF based Child enrolment	Name and Aadhaar number of both the parents are compulsory for child up to the age of 18 for HOF based enrolment. Biometric authentication of one of the parent is compulsory. Please specify the reason if parent Aadhaar number is not available. Please ensure that the Birth Certificate contains proper name of the Child as required in Aadhaar. Variation in Resident's Name in contrast to document is permissible as long as the change is minor spelling only. The resident and HOF should visit the Aadhaar Centre for HOF based enrolment and to produce the Proof of Relationship document containing the name of HOF & the applicant and the latest Aadhaar of HOF.
9	Address	Write complete address. Please bring the original Proof of Address document. PIN Code and Post Office is mandatory. The Name of State, District, Sub district and VTC shall be auto fetched based on the PIN Code selected. C/o Field is part of address only and does not require any documentary support. Minor Corrections/enhancements are permissible to make the address complete without altering the base address as mentioned in POA document Kindly note that the Aadhaar letter will be delivered at the given address only.
	List of Documents	The valid list of documents is available on UIDAI website at [*] Resident and the Aadhaar operator to ensure that the document submitted is as per the list published by the Authority from time to time.
	Foreign national seeking enrolment/update	Foreign national seeking enrolment/update to fill separate Aadhaar enrolment/update form.

AADHAAR ENROLMENT / UPDATE FORM FOR RESIDENT INDIAN OR NRI CHILD OF AGE UP TO FIVE YEARS

Please follow the instructions overleaf while filling up the form. Use capital letters only.

1	<input type="checkbox"/> New Enrolment	<input type="checkbox"/> Update
2	<input type="checkbox"/> Resident Indian*	<input type="checkbox"/> Non-Resident Indian (NRI**)
3	In case of Update – Aadhaar Number (UID): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Language only Update	

4	Name (as per POR document):		
5	Birth Registration Number (as per the Birth Certificate with Name):		
6	Gender: <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender	7	Date of Birth as per document: D D / M M / Y Y Y Y
8	<p>HOF based Enrolment: Aadhaar numbers of both the parents are mandatory. Aadhaar authentication by one of the parents is required.</p> <p>Mother's Name:Mother's Aadhaar No.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Father's Name:.....Father's Aadhaar No.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>In case any one parent is not available, reasons thereof:</p> <p><i>In case both parents are not available at the time of enrolment, guardian shall authenticate and must furnish details of Aadhaar numbers of parents wherever available. Aadhaar authentication by the guardian is required.</i></p> <p>In case both parents are not available, reasons thereof: Guardian's Name:Guardian's Aadhaar No.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>		
9	<p><i>Documents produced:</i></p> <p>b. POR & DOB: Birth Certificate (with Name) issued by competent authority <input type="checkbox"/></p> <p>b. POI/ POR & DOB: Passport <input type="checkbox"/> (Applicable for NRIs only) Passport Number :</p>		
	<p>Document based Enrolment: UIDAI Standard Certificate <input type="checkbox"/> (Only for children in Child Care Institutions, Orphanages etc)</p>		
	Address: C/o (Name- optional)		
	House No./ Bldg./Apt:	Street/Road/Lane:	
	Landmark:	Ward No:	Area/Locality/Sector:
	Village/ Town/ City:		Post Office (Mandatory):
	District:	Sub-District:	State:
	E-Mail:	Mobile No.:	Pin Code (Mandatory):
10	Demographic Update (Write Names of the documents. Refer UIDAI website for list of documents)		
	a. POI (Proof of Identity)	b. POA (Proof of Address)	
	c. DOB (Date of Birth)	d. POR (Proof of Relation)	

- I understand that the above information may be provided to an agency with my consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and the rules and regulations made thereunder. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI.
- I hereby confirm that the information/documents submitted are correct to the best of my knowledge and belief and that, if at any point of time, any of the said information/documents is found to be fraudulently obtained or false, legal action may be initiated against me, in accordance with applicable law.
- I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing requisite proof of identity, address, birth and relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information.

4. I hereby give my consent to sharing of above information and supporting documents or electronic information evidencing said proofs with government agencies and authorities dealing with the preparation or maintenance of such information/documents, for the purpose of verification.
5. I hereby confirm that I am the parent/guardian of the child/ward and I wish to give my Aadhaar authentication for the purpose of enrolling/updating the Aadhaar details of the child/ward.

Verifier's Stamp and Signature:

(Verifier must put his/her name, if stamp is not available)

Signature of Parent/Guardian

To be filled by the Enrolment Agency only:

Date & time of Enrolment:

*Resident means resident as per Section 2(v) of the Aadhaar Act. **In case of NRI, only valid Indian Passport will be accepted as POI.

In case of foreign national seeking enrolment/update, separate form to be used. Birth certificate is mandatory for enrolling child born on or after 1.10.2023.

Keep your Aadhaar information always updated for enhanced ease of living. If your Aadhaar number was issued more than 10 years ago and has not been updated, it is recommended that supporting documents (POI/POA) are updated for continued accuracy of demographic information.

INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED FOR FILLING UP AADHAAR ENROLMENT / UPDATE FORM FOR RESIDENT INDIAN OR NRI CHILD UP TO 5 YEARS OF AGE

Form S. No.	Field	Instruction
1	Type of Enrolment	Please tick the requirement – New Enrolment or Update
2	Status	Please select the residential status. Separate form should be used by Foreigner. In case of NRIs, approved POI shall be valid Indian Passport.
3 & 10	Demographic Update (Mobile, DOB, Address, Name, Gender, Email)	Resident to enter the Aadhaar number and to select the required service only. In case of update other than name, name as in existing Aadhaar to be mentioned (the name in document and Aadhaar should match). Only required field to be filled in case of other update requests.
4	Name	Write full name without salutations/titles. Please bring the original Proof of Identity (POI) document. Variation in Resident's Name in contrast to POI is permissible as long as the change is minor spelling only. For Example: If Resident's POI reads "Preeti", then "Priti" can be recorded if Resident wants so.
7	DOB	Accepted DOB document for residents up to 18 years shall be Birth Certificate with specified exception. Full Date of Birth shall be printed only in case of verified DOB. For individual born on or after 01.10.2023, birth certificate is mandatory for enrolment and update.
8	HOF based Child enrolment	Name and Aadhaar number of both the parents are compulsory for child up to the age of 18 for HOF based enrolment. Biometric authentication of one of the parent is compulsory. Please specify the reason if parent Aadhaar number is not available. Please ensure that the Birth Certificate contains name of the Child as required in Aadhaar. Variation in Resident's Name in contrast to document is permissible as long as the change is minor spelling only. The resident and HOF should visit the Aadhaar Centre for HOF based enrolment and to produce the Proof of Relationship document containing the name of HOF & the applicant and the latest Aadhaar of HOF.
9	Address	Write complete address. Please bring the original Proof of Address document. PIN Code and Post Office is mandatory. The Name of State, District, Sub

a.	POI (Proof of Identity)
b.	POA (Proof of Address)
c.	DOB (Date of Birth)
d.	POI-2 (As per requirement)

1. I understand that the above information may be provided to an agency with my consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and the rules and regulations made thereunder. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI.
2. I hereby confirm that the information/documents submitted are correct to the best of my knowledge and belief and that, if at any point of time, any of the said information/documents is found to be fraudulently obtained or false, legal action may be initiated against me, in accordance with applicable law.
3. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing requisite proof of identity, address, birth and relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information.
4. I hereby give my consent to sharing of above information and supporting documents or electronic information evidencing said proofs with government agencies and authorities dealing with the preparation or maintenance of such information/documents, for the purpose of verification.
5. I confirm that I have been residing in India for at least 182 days in the preceding 12 months.

Verifier's Stamp and Signature:

(Verifier must put his/her name, if stamp is not available)

Applicant's signature/ Thumb impression

To be filled by the Enrolment Agency only:

Date & time of Enrolment: _____

Note: In case of incapacitated person, the signature will be done by Legal Guardian of Incapacitated Person

Separate form to be used for Resident Indian and NRIs.

Keep your Aadhaar information always updated for enhanced ease of living. If your Aadhaar number was issued more than 10 years ago and has not been updated, it is recommended that supporting documents (POI/POA) are updated for continued accuracy of demographic information.

*SMS will be sent to Indian mobile number only. In case a non-Indian mobile number is linked with Aadhaar, message will be sent only through e-mail only.

INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED FOR FILLING UP AADHAAR ENROLMENT / UPDATE FORM FOR FOREIGN NATIONAL SEEKING ENROLMENT (All age groups)

Form Sl. No	Field	Instruction
1	Type of Enrolment	Please tick the requirement – New Enrolment or Update
2	Status	Please select the residential status. Separate form should be used by Resident Indian and NRI. In case of Foreign national seeking enrolment, relevant documents mentioned as per column 9 is mandatory. All the documents to be scanned and uploaded at the time of Enrolment.
3 & 10	Demographic Update (Mobile, DOB, Address, Name, Gender, Email)	Resident to enter the Aadhaar number and to select the required service only. In case of update other than name, name as in existing Aadhaar to be mentioned (the name in document and Aadhaar should match). Only required field to be filled in case of other update requests. Message shall be sent to Indian mobile number. Name, Gender and DOB updates for Foreigner seeking update shall be processed as per the exceptional handling through UIDAI Regional Offices.
4	Nationality	As per passport/POI document. Passport not mandatory for Nepal/Bhutan Citizens and Tibetan Refugees residing in India.

5	Name	Write full name without salutations/titles. Please bring the original Proof of Identity (POI) document. Name should be entered exactly as per the Passport/POI document.
7	Address	Write complete Indian address . Please bring the original Proof of Address document. PIN Code is mandatory in address filed. The Name of State, District, Sub district and VTC shall be auto fetched based on the PIN Code selected. C/o Field is part of address only and does not require any documentary support. Kindly note that the Aadhaar letter will be delivered at the given address only.
	HOF based enrolment	HOF based enrolment/update shall not be available for Foreigner seeking enrolment above 18 years.
	List of Documents	The valid list of documents is available on UIDAI website at [*] Resident and the Aadhaar operator to ensure that the documents submitted are as per the list published by the Authority from time to time.
	Validity	a) For Foreigner seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the VISA. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years b) For OCI Card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years c) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till validity of LTV document

SCHEDULE II

[see regulation 10(2)]

LIST OF ACCEPTABLE SUPPORTING DOCUMENTS FOR AADHAAR ENROLMENT (0-5 Years)			
✓ means allowed and ■ means not allowed.			
● Enrolment Type I: Head of the Family (HoF) based enrolment			
Sl. No.	List of Documents (Document must be valid as on the date of application)	POR (Proof of Relationship) Document Containing Name of child and Name of HoF (Head of Family)	DOB (Date of Birth) Document Containing Name and DOB
1.	Birth certificate issued by Authorised Authority (in the respective States) under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	✓	✓
2.	Indian Passport	✓	■
● Enrolment Type II: Document based Enrolment			
Sl. No.	List of Documents (Document must be valid as on the date of application)	POI (Proof of Identity) Document Containing Name and Photograph	POA (Proof of Address) Document Containing Name and Indian Address
3.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by Superintendent / Warden/ Matron / Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of the shelter home or orphanage concerned).	✓	✓
● Documents applicable for OCI Card holders / Nepal and Bhutan nationals / foreign national seeking enrolment			
4.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for residents who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	■*
5.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	■*

6.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	■*
7.	Passport of Nepal / Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, both of the following documents to be submitted: a) Nepalese / Bhutanese Citizenship Certificate b) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission / Royal Bhutanese Mission in India for stay of more than 182 days	✓	■*

* Proof of Address documents as in the list of Acceptable Supporting Documents for Aadhaar Enrolment (Above 5 Years) will be applicable.

Important Note:

- For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 1.10.2023, birth certificate is mandatory.
- Head of Family (HoF) based enrolment is mandatory (except for children residing in shelter homes or orphanages and foreign national seeking enrolment) for children below 5 years of age. Any one of the parents can become HoF.
- Head of Family** (HoF) must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment.
- Aadhaar number of both the parents is required for HoF based enrolment and biometric authentication by one of the parents is mandatory.
- Name of the child and **Head of Family** (HoF) must be mentioned in the PoR document.
- The address mentioned in the **Head of Family** (HoF) Aadhaar will be used in the child's Aadhaar.
- For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- HoF is encouraged to provide any of the following Proof of Identity (PoI) documents issued in the name of the child:
 - Indian passport
 - Photo Identity Card/Certificate with photograph issued by Central Government / State Government, such as Domicile Certificate, Resident Certificate etc.
 - ST/ SC/ OBC Certificate issued by Central Government /State Government
 - Disability Identity Card / Certificate of Disability issued under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017
- Exception handling process is carried out under the jurisdiction of UIDAI Regional Offices and considered only after due diligence of the case by the Regional Office concerned.
- Please bring original documents for enrolment/update. No photocopy is required. Original documents are scanned and given back.

LIST OF ACCEPTABLE SUPPORTING DOCUMENTS FOR AADHAAR ENROLMENT (ABOVE 5 YEARS)

✓ means allowed and ■ means not allowed.

Sl. No.	List of Documents (Document must be valid as on the date of application)	POI (Proof of Identity) Document Containing Name and Photograph	POA (Proof of Address) Document Containing Name and Indian Address	POR (Proof of Relationship) Document Containing Name of applicant and Name of HoF (Head of Family)	DOB (Date of Birth) Document Containing Name and DOB
1.	Indian Passport	✓	✓	✓	✓
2.	PAN Card / e-PAN Card	✓	■	■	■

3.	Ration / PDS Photograph Card / e-Ration Card	✓	✓	✓	■
4.	Voter Identity Card / e-Voter Identity Card	✓	✓	■	■
5.	Driving licence	✓	■	■	■
6.	Service Photo Identity Card issued by Central Government / State Government / PSU / regulatory body / statutory body	✓	■	■	✓
7.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Central Government / State Government / PSU / regulatory body / statutory body	✓	■	✓	✓
8.	CGHS / ECHS / ESIC / Medi-Claim Card issued by Central Government / State Government / PSU	✓	■	■	■
9.	Disability Identity Card / Certificate of Disability issued under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017	✓	✓	■	■
10.	Photograph Identity Card / Certificate with photograph issued by Central Government / State Government, such as under Bhamashah scheme, Domicile Certificate, MGNREGA / NREGS Job Card, Labour Card, etc.	✓	✓	✓	■
11.	Marriage Certificate with or without photograph issued by Central Government / State Government (supporting PoI document of old name and photograph is required if the Marriage Certificate is without photograph)	■	■	✓	■
12.	ST / SC / OBC Certificate issued by Central Government / State Government	✓	✓	✓	■
13.	Mark-sheet / Certificate issued by recognised Board of Education or university or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	✓	■	✓	✓
14.	Passbook with photograph issued by a Public Sector Bank (as categorised by RBI), duly stamped and signed, along with a supporting certificate from the branch manager in charge certifying that KYC in respect of the accountholder is complete and the proof of address for the address shown in the passbook is available in the bank's record	✓	✓	■	■
15.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	✓	✓	✓	✓
16.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:				
	(vii) MP / MLA / MLC / Municipal Councillor	■	✓	■	■
	(viii) Gazetted Officer Group 'A' / EPFO Officer	■	✓	■	■
	(ix) Tehsildar / Gazetted Officer Group 'B'	■	✓	■	■

	(x) Gazetted Officer at NACO / State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)	✓	✓	■	■
	(xi) Superintendent / Warden / Matron / Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of shelter home or orphanage concerned)	✓	✓	■	■
	(xii) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned).	■	✓	■	■
	(xiii) Village Panchayat Head / President or Mukhiya / Gaon Bura / equivalent authority (for rural areas) / Village Panchayat Secretary / Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	■	✓	■	■
17.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	■	✓	■	■
18.	Water bill (not older than 3 months)	■	✓	■	■
19.	Telephone landline bill / post-paid mobile bill / broadband bill (not older than 3 months)	■	✓	■	■
20.	Valid sale agreement / gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	■	✓	■	■
21.	Gas connection bill (not older than 3 months)	■	✓	■	■
22.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government / State Government / PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	■	✓	■	■
23.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	■	✓	■	■
24.	Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	■	■	✓	✓
25.	Family entitlement document issued by Central Government / State Government	■	■	✓	■
26.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer, with signature and seal	✓	✓	■	■
27.	Document to prove legal guardianship	■	■	✓	■
Documents applicable for OCI Card holders / LTV document holders / Nepal and Bhutan nationals / foreign national seeking enrolment					
28.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for residents who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	■	■	■

29.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	✓	■	■
30.	Passport of Nepal / Bhutan for nationals of Nepal / Bhutan. In case passport is not available, any two of the following documents having the same address may be submitted: a. Nepalese / Bhutanese Citizenship Certificate b. Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal / Bhutan c. Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission / Royal Bhutanese Mission in India	✓	■	■	■
31.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	■	■	■
32.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by FRRO / FRO to the foreign national (except OCI Card holders, LTV document holders and Nepal / Bhutan nationals)	■	✓	■	■

Important Note:

- a) For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 01.10.2023, birth certificate is mandatory.
- b) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains Name and Photograph of the resident.
- c) A document is accepted as Proof of Address (PoA) document only if it contains Name and Address of the resident.
- d) A document is accepted as both Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) document only if it contains Name, Photograph and Address of the resident.
- e) All the PoI, PoA, DoB documents shall be issued on the name of the resident. Documents in the name of the family member / members cannot be considered for enrolment of the other family members.
- f) Head of Family (HoF) based enrolment shall be used in case resident does not have PoI and PoA documents. Head of Family (HoF) based enrolment shall be used for immediate family members, whose names are recorded in the PoR document.
- g) Head of Family (HoF) must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment. Head of Family (HoF) must accompany the resident during enrolment for his / her Aadhaar Authentication.
- h) The address mentioned in the Head of Family (HoF) Aadhaar will be used in the family member's Aadhaar.
- i) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- j) For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- k) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- l) Kindly refer Self Declaration for DoB Change — [*]
- m) Kindly refer Exception Handling Mechanism — [*]

- n) Exception handling process is carried out under jurisdiction of UIDAI Regional Offices and considered only after due diligence of the case by the Regional Office concerned.
- o) Please bring original documents for enrolment / update. No photocopy is required. Original documents are scanned and given back.

LIST OF ACCEPTABLE SUPPORTING DOCUMENTS FOR AADHAAR UPDATE (ALL AGE GROUPS)					
✓ means allowed and ■ means not allowed					
Sl. No.	List of Documents (Document must be valid as on the date of application)	POI (Proof of Identity) Document Containing Name and Photograph	POA (Proof of Address) Document Containing Name and Indian Address	POR (Proof of Relationship) Document Containing Name of applicant and Name of HoF (Head of Family)	DOB (Date of Birth) Document Containing Name and DOB
1.	Indian Passport	✓	✓	✓	✓*
2.	PAN Card / e-PAN Card	✓	■	■	■
3.	Ration / PDS Photograph Card / e-Ration Card	✓	✓	✓	■
4.	Voter Identity Card / e-Voter Identity Card	✓	✓	■	■
5.	Driving licence	✓	■	■	■
6.	Service Photo Identity Card issued by Central Government / State Government / PSU / regulatory body / statutory body	✓	■	■	✓*
7.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Central Government / State Government / PSU / regulatory body / statutory body	✓	■	✓	✓*
8.	Kisan Photo Passbook	✓	✓	■	■
9.	CGHS / ECHS / ESIC / Medi-Claim Card issued by Central Government / State Government / PSU	✓	■	■	■
10.	Disability Identity Card / Certificate of Disability issued under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017	✓	✓	■	■
11.	Photograph Identity Card / Certificate with photograph issued by Central Government / State Government, such as under Bhamashah scheme, Domicile Certificate, MGNREGA / NREGS Job Card, Labour Card, etc.	✓	✓	✓	■
12.	Marriage Certificate with or without photograph issued by Central Government / State Government (supporting PoI document of old name and photograph is required if the Marriage Certificate is without photograph)	✓	✓	✓	■
13.	ST / SC / OBC Certificate issued by Central Government / State Government	✓	✓	✓	■
14.	School Leaving Certificate (SLC) / School Transfer Certificate (TC)	✓	■	■	■
15.	Mark-sheet / Certificate issued by recognised Board of Education or university or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	✓	■	✓	✓*

16.	Passbook with photograph issued by a Public Sector Bank (as categorised by RBI), duly stamped and signed, along with a supporting certificate from the branch manager in charge certifying that KYC in respect of the accountholder is complete and the proof of address for the address shown in the passbook is available in the bank's record	✓	✓	■	■
17.	Scheduled Commercial Bank's (notified by RBI) Passbook having Name and Photograph (cross stamped with Bank seal) and signed by bank official / Post Office Savings Account Passbook (with stamp and signature of issuing official of post office)	■	✓	■	■
18.	Bank Account Statement / Credit Card Statement (with Bank stamp & signature of issuing bank official) / Post Office Savings Account Statement (with stamp and signature of issuing official of post office) (not older than 3 months)	■	✓	■	■
19.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	✓	✓	✓	✓*
20.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:				
	(i) MP / MLA / MLC / Municipal Councillor	■	✓	■	■
	(ii) Gazetted Officer Group 'A'/ EPFO Officer	■	✓	■	■
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group 'B'	■	✓	■	■
	(iv) Gazetted Officer at NACO / State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)	✓	✓	■	■
	(v) Superintendent / Warden / Matron / Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of shelter home or orphanage concerned)	✓	✓	■	■
	(vi) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned)	■	✓	■	■
	(vii) Village Panchayat Head / President or Mukhiya / Gaon Bura / equivalent authority (for rural areas) / Village Panchayat Secretary / Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	■	✓	■	■
21.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	■	✓	■	■

22.	Water bill (not older than 3 months)	■	✓	■	■
23.	Telephone landline bill / post-paid mobile bill / broadband bill (not older than 3 months)	■	✓	■	■
24.	Property Tax Receipt (not older than 1 year)	■	✓	■	■
25.	Valid sale agreement / gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	■	✓	■	■
26.	Gas connection bill (not older than 3 months)	■	✓	■	■
27.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government / State Government / PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	■	✓	■	■
28.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	■	✓	■	■
29.	Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	■	■	✓	✓
30.	Family entitlement document issued by Central Government / State Government	■	■	✓	■
31.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer, with signature and seal	✓	✓	■	■
32.	Self Declaration from the Head of Family (HoF) certifying the relationship with the resident residing at the same address as HoF, valid only for borrowing address of HoF. (To be used only for address update of immediate family member / members of HoF)	■	■	✓	■
33.	Document to prove legal guardianship	■	■	✓	■
Documents applicable for OCI Card holders / LTV document holders / Nepal and Bhutan nationals / foreign national seeking update					
34.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for residents who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	■	■	■
35.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	✓	■	■

36.	Passport of Nepal / Bhutan for nationals of Nepal / Bhutan. In case passport is not available, any two of the following documents having the same address may be submitted: a. Nepalese / Bhutanese Citizenship Certificate b. Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal / Bhutan c. Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission / Royal Bhutanese Mission in India	✓	■	■	■
37.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	■	■	■
38.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by FRRO / FRO to the foreign national (except OCI Card holders, LTV document holders and Nepal / Bhutan nationals)	■	✓	■	■
Documents applicable for Exception cases of Name, Gender and DoB					
39.	For Exception cases of Name change : Gazette Notification of new name alongwith any supporting PoI document of old name with Photograph (For first / full name change) / Divorce Decree / Adoption Certificate / Marriage Certificate	✓	■	■	■
40.	For Exception cases of Gender Change: Medical Certificate from surgeon, in case resident changed gender surgically	✓	■	■	■
41.	For exception cases of DoB Change: Self Declaration as per notified format along with Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	■	■	■	✓

Important Note:

- a) For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 01.10.2023, birth certificate is mandatory.
- b) ***DoB update of all residents between the age group of 0-18 years mandatorily requires Birth Certificate issued by Authorized Authority of the respective States**
- c) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains Name and Photograph of the resident.
- d) A document is accepted as Proof of Address (PoA) document only if it contains Name and Address of the resident.
- e) A document is accepted as both Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) document only if it contains Name, Photograph and Address of the resident.
- f) All the PoI, PoA, DoB documents shall be issued on the name of the resident. Documents in the name of the family member / members cannot be considered for enrolment of the other family members.

- g) Head of Family (HoF) based enrolment shall be used in case resident does not have PoI and PoA documents. Head of Family (HoF) based enrolment shall be used for immediate family members, whose names are recorded in the PoR document.
- h) Head of Family (HoF) must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment. Head of Family (HoF) must accompany the resident during enrolment for his / her Aadhaar Authentication.
- i) The address mentioned in the Head of Family (HoF) Aadhaar will be used in the family member's Aadhaar.
- j) In case of Child (0-5 years) having name as "Baby of" in Aadhaar, the first update request for full name change shall be allowed by submission of Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder
- k) Aadhaar update for foreigner national will be conducted at Aadhaar adult enrolment centers only.
- l) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- m) For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- n) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- o) Kindly refer Self Declaration for DoB Change — [*]
- p) Kindly refer Exception Handling Mechanism — [*]
- q) Exception handling process is carried out under jurisdiction of UIDAI Regional Offices and considered only after due diligence of the case by the Regional Office concerned.
- r) Please bring original documents for enrolment / update. No photocopy is required. Original documents are scanned and given back.

SCHEDULE III

[see regulations 10(4) and 19A]

Verification of Enrolment and Update Information

Information	Fields	Verification Required?	Verification*
Personnel Details	Name	Yes	Any of the Proof of Identity documents. Head of Family for people who have no documents.
	Date of Birth Yes	A flag is maintained to indicate if Date of Birth (DoB) is verified. If DOB is not verified (approximate / declared) only year of birth shall be displayed. Update of DOB is only allowed as verified For individual born on or after 01.10.2023, birth certificate is mandatory for enrolment and update.
	Gender	No Yes	-- Update is only allowed as verified
Address Details	Residential Address (for Aadhaar letter delivery and other communication)	Yes	Any of the Proof of Address documents. Head of Family for people who have no documents.
Parent/Guardian Details	Father's/Mother's/ Guardian's/Husband's / Wife's Name	Conditional	No verification of Father/Husband/Guardian in the case of adults.
	Father's/Mother's/ Guardian's/Husband's/ Wife's Enrolment ID / Aadhaar		For children below five years of age, Father /Mother / Guardian's name, Aadhaar number and biometric information (any one modality)

	number		shall be captured for authentication. For adults, name of either Father/Husband/ Guardian or Mother/Wife/Guardian is optional.
HoF Details	HoF Name	Yes	HoF's Name, UID on the form. HoF biometrics (any one modality) captured for authentication.
	HoF's UID		
Contact Details	Mobile Number	No	-----
	Email Address	No	-----

Note: Electronic information evidencing requisite proof is also acceptable in lieu of documents.

* Assistance of any Ministry, Department or agency of the Central Government or a State Government may be taken for the purpose of verification.”

SALIL KUMAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./455/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 14th September 2016, and last amended *vide* notification no. HQ-16027/1/2022-EU-I- HQ (No. 6 of 2022), dated the 9th November 2022.